परिशिष्ट-एक

# मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(प्रसाद ढवले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

1. **प्रस्तावनाः-** मध्यप्रदेश शासन का विजन (दृष्टिपत्र)-2018 ज्ञान आधारित समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास की आकांक्षा रखता है। सरकार को और पारदर्शी, जवाबदेह तथा नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए ई-गवर्नेन्स तथा मोबाईल गवर्नेन्स पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए संपूर्ण राज्य में मजबूत, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा अबाध दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की आवश्यकता है। इस संबंध में यह नीति भारत सरकार द्वारा विधिक रूप से प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा विशेष तौर पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सेवा नही प्रदान की जा रही है, वायर लाइन/वायरलेस वाइस एवं डाटा पहूंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना को स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने, आसान बनाने, प्रोत्साहित एवं विनियमित करने की ओर लक्षित है।

2. **उद्देश्य -**

   2.1 मध्यप्रदेश में सुरक्षित, अबाध तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं तथा अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास तथा विस्तार को सुनिश्चत करना;

   2.2 राज्य के सभी हिस्सों में टेली डेन्सिटी तथा इंटरनेट के उपयोग को बढ़ाना;

   2.3 किफायती, विश्वसनीय, उच्च गति वाली तथा मांग आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाओं के इच्छुक नागरीकों तथा संगठनों को सेवाएं उपलब्ध कराना।

   2.4 राज्य में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए अनुमति तथा मंजूरी उपलब्ध कराने के लिए एक आसान तथा परदर्शी तंत्र स्थापित करना।

3. **इस नीति की प्रयोज्यताः-** इस नीति के उपबंध विद्यमान नीति "मध्यप्रदेश राज्य में 4जी ब्रांड बैंड वायर लाइन तथा वायरलेस पहुंत्र सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विनियामक प्रक्रिया नीति-2013" को अतिष्ठित करेंगे। इस नीति के फायदे प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वायरलाइन या वायरलेस आधारित डाटा या वाइस पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक वैध अनुज्ञप्ति होनी चाहिए अथवा उसके पास दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अवसंरचना प्रदाता कम्पनी के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति होना चाहिए अथवा इस रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

4. **सामान्य परिभाषाएं**
   i. डी.ओ.टी.- दूरसंचार विभाग
   ii. टी.एस.पी. -दूरसंचार सेवा प्रदाता

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

iii. आई.एस.पी -इन्टरनेट सेवा प्रदाता

iv. आई.पी. - अवसंरचना प्रदाता

5. **अवसंरचनाः** इस नीति में, अवसंरचना से अभिप्रेत है कोई ऐसी संरचना जो सन्निर्मित है अथवा निर्मित/ पूर्वनिर्मित संरचना/ शेड, केबल, डक्ट और किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)/ अवसंरचना प्रदाता (आईपी)/ इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा वायरलाइन/ वायरलेस आधारित वाइस तथा डाटा पहुंच् सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित/ संस्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक उपकरण जिसमें जनरेटर, सोलर पेनल आदि सहायक उपकरण भी सम्मिलित हैं।

6. **अनुज्ञप्ति प्राधिकारी:** वह जिला कलेक्टर, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह भूमि आती है जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, इस नीति के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा तथा उसके जिले में दूरसंचार अवसंरचना को संस्थापित करने के लिए आवश्यक सभी अनुज्ञप्तियां तथा मंजूरी के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा।

7. **शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जानाः**
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, उस विभाग से विचार विमर्श के पश्चात जिसके कि कब्जे में ऐसी भूमि है, किसी शासकीय भूमि पर अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि से संबंध रखने वाली भूमि के ऊपर अवसंरचना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा, जहां तक कि प्राधिकारी की यह राय हो कि अवसरंचना की संस्थापना उस प्रयोजन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके लिए विभाग/ प्राधिकरण उसके कब्जे के अधीन की शासकीय भूमि का उपयोग कर रहा है। स्मार्ट सिटी के संदर्भ मे लायसेंस जारी करने से पहले लायसेंस प्राधिकरण संबन्धित स्मार्ट सिटी कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करेगा।

शासकीय भूमि पर अवसंरचना की स्थापना हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति निम्न सिद्धान्तों (Principles) के तहत देय होगी :-

**7.1 भूमि के ऊपर की अवसरंचना के लिए अनुज्ञप्ति का प्रदाय करना:**

(क) ऐसी अनुज्ञप्ति शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों/ शासकीय चिकित्सालयों/ सार्वजनिक उद्यानों/ खेल मैदानों के परिसरों में अवसरंचना स्थापित करने के लिए जारी नहीं की जाएगी।

(हस्ताक्षर ...)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग

(ख) उस भूमि का क्षेत्रफल निम्नानुसार होगा जिसके लिए भूमि के ऊपर अवसंरचना के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी:-

| स्थान का प्रकार | प्रति स्थान अधिकतम क्षेत्रफल | क्षेत्रफल का प्रारूपी पैमाना (स्थल की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है) |
|---|---|---|
| नगरीय क्षेत्र | 900 वर्गफुट | 30 फुट x 30 फुट |
| ग्रामीण क्षेत्र | 1225 वर्गफुट | 35 फुट x 35 फुट |

एक- परन्तु मध्यप्रदेष नगर तथा ग्राम निवेष प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी **'निवेश क्षेत्र'** की सीमाओं के भीतर आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र भी किसी **'नगरीय क्षेत्र'** की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

दो- परन्तु यह कि छत पर स्थापन पर क्षेत्रफल की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में क्षेत्रफल प्रत्येक मामले के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा।

तीन- परन्तु यह और भी कि क्षेत्रफल की सीमा केबल लाइन बिछाने के लिए लागू नहीं होगी।

**7.2 भूमिगत अवसंरचना:**

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी शासकीय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निगमों/ प्राधिकरणों/ स्थानीय निकायों से संबंध रखने वाली भूमि पर डक्ट, केबल तथा अन्य भूमिगत अवसंरना बिछाने के लिए मार्ग अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा बशर्ते कि मार्ग अधिकार भूमि के केवल उस विस्तार पर जो कि उसका मूल उपयोग जिसके लिए भूमि उपयोग की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(ख) शासकीय भूमि पर मार्ग अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय भूमि की न्यूनतम संभावित चैड़ाई पर विचार किया जाएगा।

(ग) केबल बिछाये जाने के लिए पुर्नस्थापन प्रभार की गणना की जाएगी तथा आवेदक पुनर्स्थापन के लिए अनुमानित राशि के समतुल्य की बैंक गारंटी

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

संबंधित अभिकरण के पास जमा करेगा। एक बार पुनः स्थापन पूरा हो जाने पर बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।

(घ) आवेदक भूमि का पुनर्स्थापन उसी रूप में करेगा जिसमें अवसरंचना बिछाये जाने के पूर्व में थी ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी शासकीय अभिकरण को पुनर्स्थापन के लिए निर्देशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और ऐसा किए जाने के खर्चे आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी से वसूल करेगा।

8. **शासकीय भवन/छत पर अवसंरचना संस्थापित करना (रूफ टाप इंसटालेशन)-** शासकीय भवनों की छतों पर अवसंरचना संस्थापित करने के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा-

(क) आवेदक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस प्रस्तावित भवन की संरचना के लिए जहां पर अवसंरचना सृजित की जानी है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 26 के उपबंधों के अनुसार सक्षम अभियंता/ वास्तुविद द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में अवसंरचना की संस्थापन से वास्तविक उपयोग, जिसके लिए भवन उपयोग किया जा रहा है, प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं/ शासकीय चिकित्सालयों की छत पर अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(घ) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि से संबधित भवनों के लिए भी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है यदि भवन के स्वामी को छत/भवन पर अवसंरचना संस्थापित करने में कोई आपत्ति न हो।

(ड़) अनुज्ञप्तिधारी को छत पर केवल अवसंरचना संस्थापित करने के लिए ही अनुमति दी जाएगी और बिजली तथा सुरक्षा आदि के लिए उसे स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

(च) अनुज्ञप्तिधारी उस विभाग/प्राधिकरण को जिसके पास भवन का स्वामित्व है 2 एम.बी. पी.एस. का इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराएगा। उस दशा में जहां भवन स्वामी के अधिभोग में नहीं है तथा उसे संयोजन की आवश्यकता नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी किसी शासकीय विभाग/ प्राधिकरण को इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराएगा जो कि भवन के अधिभोग में हो।

9. **केन्द्र शासन की भूमि पर अवसंरचना / भवन की छत पर अवसंरचना संस्थापन हेतु अनुज्ञप्ति :-**

भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि से संबंधित भूमि की दशा में, संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही भूमि के ऊपर अवसरंचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

10. **निजी भूमि पर अवसंरचना / निजी भवन की छत पर अवसंरचना संस्थापन हेतु अनुज्ञप्ति:-**

निजी भूमि की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी निजी भूमि के भूमिस्वामी के द्वारा अनुबंध प्रस्तुत किए जाने पर भूमि के ऊपर अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

11. **अनुज्ञप्ति की वैधताः** अनुज्ञप्ति उस सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध्य होगी जिसके लिए टी.एस.पी/आई.एस.पी./आइ.पी. कंपनी को दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा वैध अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है अथवा आइ.पी श्रेणी की - I कंपनी की दशा में वह अवधि जिसके लिए उसके पास दूरसंचार विभाग, भारत सरकार में वैध रूप से पंजीकृत है। किसी आवेदक को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारक कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन की दशा में के सिवाय हस्तांतरणीय नहीं होगी।

12. **अनुज्ञप्ति का नवीकरणः** शासकीय भूमि पर अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुच्छेद 7 से 10 में जारी अनुज्ञप्ति के समापन पर टी.एस.पी./आई.एस.पी./आई.पी. कंपनी के रूप में कार्य करने की वैध्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने/अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जान को सबूत प्रस्तुत किए जाने पर अथवा आई.पी.श्रेणी-एक कंपनी की दशा में वैध



मध्यप्रदेश शासन
...सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

रजिस्ट्रीकरण पर यह नवीकृत किया जा सकता है। नवीकरण पर अनुज्ञप्ति उस अवधि तक वैध रहेगी जिसके लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा आवेदक को वैध अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है।

13. **अनुज्ञप्ति शुल्कः** शासकीय भूमि एवं शासकीय भवन पर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा-

(क) **आवेदन प्रसंस्करण शुल्कः** सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित तथा अधिसूचित किए गए अनुसार।

(ख) **अनुज्ञप्ति शुल्कः** स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी कलेक्टर गाइडलाईन दरों अनुसार संबंधित भूमि/ सम्पत्ति हेतु निर्धारित मूल्य के 20 प्रतिशत के समतूल्य राशि अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में देय होगी। उक्त अनुज्ञप्ति शुल्क, राज्य शासन की भूमि / सम्पत्ति की दशा में संबंधित विभाग की निधि में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि की भूमि/ सम्पत्ति होने की स्थिति में संबंधित उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि की निधि में यथा स्थिति में जमा की जायेगी।

भारत सरकार या उसके उपक्रम/ प्राधिकरण/ कम्पनी की सम्पत्ति अथवा निजी सम्पत्ति के लिए पृथक से कोई अनुज्ञप्ति शुल्क देय नही होगा।

14. **ऊपरी केबलिंग (ओवरहेड केबलिंग) के लिए सामान्य शर्तें :** बिजली के खम्भों तथा स्तम्भों और ऐसे अन्य खम्भों तथा स्तम्भों के उपयोग के लिए जो कि राज्य सरकार की अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम/ प्राधिकरण/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी की सम्पत्ति है के उपयोग की अनुज्ञा के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परामर्श से ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए जाएंगे।

15. **इस नीति के अधीन अवसंरचना के स्थापन का अस्थाई संरचना तथा लोक सुविधा के रूप में माना जानाः** इस नीति के अधीन अवसंरचना के स्थापन का अस्थाई संरचना तथा लोक सुविधा के रूप में माना जाना जाएगा अतः-

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

(क) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंध इस अवसंरचना पर लागू नहीं होंगे। तथापि, आई.एस.पी./टी.एस.पी./आई.पी. को इस नीति के अधीन स्थापित टावरों के लिए **'सक्षम स्रोतों'** से संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(ख) अवसंरचना उस स्थानीय निकाय को, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह स्थित है, सम्पत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

16. **वैद्यता :** यह नीति सन् 2023 अथवा इस नीति को अतिष्ठित करने वाली किसी नई नीति की घोषणा होने तक प्रवर्तन में बनी रहेगी।

17. **परिशोध करने की अधिकारिता :** मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी साधिकार समिति इस नीति में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने हेतु प्राधिकृत है।

(अपर मुख्य सचिव)
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

# "POLICY TO FACILITATE ESTABLISHMENT OF INFRASTRUCTURE FOR PROVIDING WIRE LINE ORWIRELESS BASED VOICE ORDATA ACCESS SERVICES BY TELECOM SERVICE /INTERNET SERVICE/INFRASTRUCTURE PROVIDERS IN MADHYA PRADESH-2019"

**DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH**



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान [illegible] प्रौद्योगिकी विभाग

1. **Introduction:**Madhya Pradesh Government's Vision-2018 aspires for the development of a knowledge-based society and economy. There is a strong emphasis on e-governance and mobile governance to make the Government more transparent, accountable and citizen friendly. This requires the establishment of strong, safe, high quality and uninterrupted telecom infrastructure across the State. This policy aims to facilitate,simplify, encourage and regulate the process of establishing Infrastructure to provide wire line/wireless voice & data access services, particularly in un-served areas, by entities legally authorized and licensed by Government of India in this regard.

2. **Objectives:**

2.1. To ensure the planned growth and expansion of a secure, uninterrupted, and high-quality telecommunications services and infrastructure in Madhya Pradesh.

2.2. To increase tele-density and Internet usage in all parts of the State.

2.3. To provide services to citizens and organizations seeking affordable, reliable, high speed and demand-based voice and data access services.

2.4. To establish a simple and transparent framework for providing permissions and approvals for entities seeking to set up telecom infrastructure in the State.

3. **Applicability of this Policy:** The provisions of this policy shall supersede the existing policy "Policy for Regulatory Process to Provide 4G Broadband Wire line and Wireless access services in the State of Madhya Pradesh–2013".To avail the benefits of this Policy one should have a valid license to provide wirelineor wireless based data or voice access services issued by Department of Telecommunications, Government of India or should be registered with/have a license to operate as an Infrastructure Provider Company issued by Department of Telecommunications, Government of India.

4. **Definitions**

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | DoT | - | Dept. of Telecommunications |
| ii. | TSP | - | Telecom Service Provider |
| iii. | ISP | - | Internet Service Provider |
| iv. | IP | - | Infrastructure Provider |

5. **Infrastructure:** In this policy, infrastructure means any structure that is constructed or erected/prefabricated structure/shelter, cable, ducts and necessary equipments required to be setup/installed for providing wire line/wireless based voice and dataaccess services by a Telecom Service Provider (TSP)/ Infrastructure Provider (IP)/ Internet Service Provider (ISP) and includes auxillary equipment such as generator, solar panels etc.

6. **Licensing Authority:** The District Collector, under whose jurisdiction the land for which license is applied for, shall be the competent authority to issue licenses under this Policy and will work as single window for all licenses and approvals required to set up telecom infrastructure in his district.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

7. **License to be provided for establishing Infrastructure on Government land:** Licensing Authority, after consultation with the department who is in possession of such land may give license for overground infrastructure on any government land and on land belonging to a Public Sector Undertaking, Authority, Corporation, Commission etc. of the State Government so long as the authority is of the opinion that the setting up of the Infrastructure shall not interfere with the purpose for which the department/authority is using the government land under its possession. In case of smart cities before issuance of license the licensing Authority shall obtain no-objection certificate from the respective smart city company.

The broad principles governing the grant of License to establish Infrastructure on Government land shall be as follows:

7.1. **Grant of license for OvergroundInfrastructure:**

a) The license will not be issued to establish infrastructure in the premises of Educational Institutions/ Government Hospitals/ Public Parks/ Play Grounds.

b) Area of land for which license for overground infrastructure can be given will be as under:-

| Location Type | Maximum Area per location | Typical Dimensions of the area (may vary as per site conditions) |
|---|---|---|
| Urban Area | 900sqft | 30 feet x 30 feet |
| Rural Area | 1225sqft | 35feet x 35 feet |

i. Provided that the entire area falling within the limits of a 'Planning Area" as notified by the Town and Country Planning Authority of Madhya Pradesh shall also be considered as falling within the limits of an 'Urban Area".

ii. Provided further that the limitation of area shall not apply on rooftop installations. In such cases the area will be decided on a case to case basis.

iii. Provided further that the limitation of area shall not apply for laying of cables.

7.2. **Underground Infrastructure:**

a) Licensing authority may grant license for right of way for laying ducts, cables and other underground infrastructure on Government land and the land belonging to PSUs/Corporations/Authorities/local bodies of the State Government.Provided that the right of way will be granted only on that stretch of land that will not interfere with the main use for which the land has been or is intended to be used for.



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग

b) Minimum possible width of land shall be considered while granting the license for right of way on Government land.

c) The restoration charges for laying the cable shall be calculated and the applicant shall deposit Bank Guarantee equivalent to estimated amount for the restoration to the concerned agency. Once the restoration work is complete the Bank Guarantee will be returned.

d) The applicant shall restore the land to the status it was prior to the laying of the Infrastructure. In case of failure to do so, the Licensing Authority can take necessary action to direct a Government Agency to do the restoration and recover the same from the Bank Guarantee deposited by the applicant/licensee.

8. **Setting up of infrastructure on Government buildings/Rooftop Installations:** License shall also be provided for setting infrastructure on the rooftops of Government Buildings. This will be subject to the following conditions:

a) It shall be mandatory for the applicant to submit a safety certificate from the Competent Engineer/ Architect for the structure of proposed building where infrastructure is to be erected, as per provisions of *Rule 26* of the *Madhya Pradesh BhoomiVikasNiyam, 2012.*

b) The establishment of Infrastructure should not affect the original use for which the building is being used for, in the opinion of the Licensing authority.

c) License shall not be provided on the rooftop of Educational Institutions/Government Hospitals.

d) License can also be issued for buildings belonging toa PSU, Authority, Corporation, Commissionetc,of the State Government if the owner of the building does not have an objection for establishing Infrastructure on the rooftop/building.

e) The licensee shall only be given license to setup infrastructure on the rooftop and would have to make his own arrangements for power, security etc.

f) The licensee shall make available a 2 Mbps internet connection to the department/authority which owns the building. In case the owner is not occupying the buiding and does not require the connection, the licensee shall make the internet connection availble to a government department/authority that may be occupying the building.

9. **License for establishing Infrastructure on land/rooftop Installation belonging to Central Government**:In case of land/building belonging to the Public Sector Undertaking, Authority, Corporation, Commission, etc. of Government of India,

the concerned licensing authority may give license to establish infrastructure after taking appropriate permission from the respective authority.

10. **License for establishing Infrastructure on land/rooftop Installation belonging to Private Ownership:**In case of private land/building the licensing authority may give license to establish infrastructure on production of the agreement with the owner of the private land/building.

11. **Validity of the License:** The license shall be valid for the entire duration for which the ISP/TSP/IP company has a valid license issued by the Dept. of Telecom, Government of India to the ISP/TSP/IP Company or in the case of an IP Category–I company, the period for which it has a valid registration with the Department of Telecom, Government of India. The licensegranted toan applicant shall not betransferable except in case of change in the ownership of the license holding company.

12. **Renewal of license:** Upon expiry of the license for establishment of Infrastructure as mentioned in **Clause 7 to 10**, license can be renewed on submission of proof to the licensing authority of having obtained a valid license/renewal of license to operate as a TSP/ISP/IP company or valid registration in the case of an IP Category-I Company. The license on renewal shall be valid for the period for which the applicant has a valid license/registration issued by DoT, Government of India.

13. **License Fees:** The applicant will have to pay the following fees for license on Government land/ Government Building.

    a) ***Application processing fees***: as decided and notified by the State Governmentfrom time to time.

    b) ***License fee***: A license fee of 20% of the Collector guideline rate fixed for the land/property under Stamps & Registration Act shall be deposited in the funds of concerned department of State Government or the Undertaking/ Authority/ PSU/ Company of the State Government, in case of the land/property belonging to the State Government or the Undertaking/ Authority/ PSU/ Company of the State Government.

       No separate license fee shall be charged in case of land belonging to Government of India or its Undertaking/ Authority/ PSU/ Company or a private party, and will be governed by the terms of agreement between them.

14. **General Conditions for overhead cabling:-**License will be granted for the permission to use the electricity poles and pillars and such other poles and pillars that are a property of the State Government or an Undertaking/Authority/PSU/Company of the State Government. Detailed

(प्रसाद ...)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

guidelines for this shall be issued by the Dept of Energy, Government of Madhya Pradesh in consultation with the Depatrment of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh.

15. **Infrastructure setup under this policy to be considered as temporary structures and as a 'Public Facility':** The infrastructure setup under this policy shall be considered as a temporary structure and as a public utility. Hence,

    a) The provisions of the *Madhya Pradesh BhoomiVikasNiyam, 2012*would not apply on this infrastructure. However, the ISP/TSP/IP would have to obtain structural stability certificate from 'competent sources' for the towers established under this policy.

    b) The infrastructure would be exempt from the payment of property tax to the local bodies under whose jurisdiction it is situated.

16. **Validity:** This Policy shall remain in force till 2023 or till the announcement of a new Policy superseding this Policy.

17. **Authority to amend:** The Apex Committee for IT under Government of Madhya Pradesh is authorised to make any amendment or addition in the policy.

(प्रसाद [illegible])
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट-2

**मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/ इंटरनेट सेवा प्रदाता/ अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा- निर्देश, 2019**

**1.प्रस्तावनाः** ये दिशा-निर्देश "मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसरंचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019" के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को अधिकथित करते है।

**2.उद्देश्य :**

(क) मध्यप्रदेश में सुरक्षित, अबाध तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं तथा अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास तथा विस्तार को सुनिश्चित करना।

(ख) राज्य के सभी हिस्सों में टेली डेन्सिटी तथा इंटरनेट के उपयोग को बढ़ाना।

(ग) किफायती, विश्वसनीय, उच्च गति वाली तथा मांग आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाओं के इच्छुक नागरीकों तथा संगठनों को सेवाएं उपलब्ध कराना।

(घ) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने का इच्छुक संस्थाओं के लिए अनुमति तथा मंजूरी उपलब्ध कराने के लिए एक आसान तथा पारदर्शी तंत्र स्थापित करना।

**3. सामान्य परिभाषाऐं :**

(क) "आवेदक" से अभिप्रेत है. किसी संस्था या कम्पनी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई आवेदक जिसे भारत सरकार द्वारा वायर लाईन और/या वायर लैस डाटा या वाइस सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुज्ञप्त किया गया हो अथवा जिसे टेलीकाम अधोसंरचना विकसित करने हेतु अधिकृत एवं रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और इस प्रयोजन हेतु आवेदक मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अवसंरचना निर्मित करने की वांछा रखता है।

(ख) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी: वह जिला कलेक्टर, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह भूमि आती है जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, इस नीति के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा तथा उसके जिले में दूरसंचार अवसंरचना को संस्थापित करने के लिए आवश्यक सभी अनुज्ञप्तियां तथा मंजूरी के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा।

(अप्रसाद ...)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

(घ) "अवसंरचना" से अभिप्रेत है कोई संरचना जो सन्निर्मित है अथवा निर्मित/ पूर्वनिर्मित संरचना/शेड, केवल, डक्ट और किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)/ अवसंरचना प्रदाता (आईपी)/ इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा वायरलाइन/ वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित/ संस्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक उपकरण जिसमें और इसमें जनरेटर, सोलर पेनल आदि जैसे सहायक उपकरण भी सम्मिलित हैं।

(ङ) "एन.ओ.सी." से अभिप्रेत है इस नीति अथवा इस नीति के उपबंधों में उल्लिखित या संबंधित किसी कार्य, कृत्य या लोप को करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी प्रचलित विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(च) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर का ऐसा क्षेत्र जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन गठित किसी ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर शामिल है।

(छ) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा प्रदेशित क्षेत्र जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार मे आता है और इसमें राज्य के नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी 'निवेश क्षेत्र' की सीमाओं के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र सम्मिलित होगा।

(ज) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है किसी नगरीय क्षेत्र के लिए अस्तित्वाधीन नगरपालिक निगम, नगरपालिक परिषद् अथवा नगर परिषद्।

4. **शासकीय भूमि पर अवसंरचना के संस्थापन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने लिए पात्रता:** कोई आवेदक जिसके पास दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दूरसंचार सेवा प्रदाता/ इंटरनेट सेवा प्रदाता/ अवसंरचना प्रदाता के रूप में कार्य करने



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

की वैध अनुज्ञप्ति है वह शासकीय भूमि पर अवसंरचना की संस्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। आई.पी. श्रेणी-1 की कम्पनी जिनके पास दूरसंचार विभाग, भारत शासन का वैध पंजीयन हो, भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

5. जिला स्तरीय दूरसंचार समिति की स्थापनाः जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जो जिला स्तरीय दूरसंचार समिति कहलाएगी। समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः-

(1) जिला कलेक्टर — अध्यक्ष

(2) जिला पुलिस अधीक्षक

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

(4) नगर निगम आयुक्त/ उस जिले के स्थानीय नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिक अधिकारी

(5) ऊर्जा विभाग का अधीक्षण यंत्री/संभागीय यंत्री

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग

(7) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

(8) महाप्रबंधक (पी.एम.जी.एस.वाई.)

(9) विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (यदि लागू हो)

(10) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि यदि जिला मुख्यालय मे पदस्थ किया गया हो

समिति ऐसे अन्य अधिकारियों/ प्राधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकती है, जैसे कि वह उसकी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए उचित समझे। समिति जिलों में अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने के लिए जिले में के विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करेगी।

(अवस्थी ...)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

6. **शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का आवेदनः** शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक संलग्न पत्रों तथा शुल्क के साथ इन दिशा-निर्देश में संलग्न प्ररूप-एक में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. **जिला स्तरीय दूरसंचार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण :** आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला स्तरीय दूरसंचार समिति की एक बैठक आयोजित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी उन विभागों/ प्राधिकरणों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित करेगा जो कि जिला स्तरीय दूरसंचार समिति के सदस्य नहीं है तथा जिनकी भूमि/भवन पर अवसंरचना संस्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है। आवेदक शासकीय भूमि/ भवनों पर अवसंरचना संस्थापित करने की उनकी योजना के संबंध में जिला स्तरीय दूरसंचार समिति के समक्ष प्रस्तुती देगा।

8. **अनुज्ञप्ति के प्रदाय पर विनिश्चय के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगेगाः** राज्य सरकार के विभाग, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा विकास प्राधिकरण की भूमि/सम्पत्ति पर अवसंरचना संस्थापित करने के लिए उस भूमि/ सम्पत्ति पर अधिभोग रखने वाले शासकीय विभाग/ निकाय/ संस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन के प्राप्त होने से सात दिन के भीतर ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों/ प्राधिकरणों/ निकाय/ संस्था से, जिनकी भूमि/ सम्पत्ति पर अवसंरचना स्थापित करने की इच्छा की गई है, एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगेगा।

9. **शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने/ उससे इंकार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारीः** जिला स्तर पर उस भूमि/ सम्पत्ति पर अधिभोग रखने वाले राज्य सरकार के विभाग/ निकाय/ संस्था का जिला स्तरीय अधिकारी जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है अथवा शासन द्वारा यथा नामांकित समुचित अधिकारी और जहाँ कि शासन द्वारा ऐसा कोई अधिकारी नामांकित ना किया गया हो वहाँ कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी प्ररूप-2 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा। ऐसा अधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर आवेदन पर विचार करेगें तथा आवदेन की

(.......)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

प्रस्तुती की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे/उससे इंकार करेंगे।

अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर उसका विनिश्चय करने में असफल रहने की दशा में यह माना जाएगा कि अधिकारी को अवसंरचना की संस्थापन पर कोई आपत्ति नहीं है और उस अधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है।

10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने से इंकार के आधार:

अवसंरचना के संस्थापन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र सामान्यत: जारी किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार के आधार निम्नलिखित कारणों तक सीमित रहेंगे-

(एक) भूमि एक ऐसी परियोजना/भवन के निर्माण में उपयोग के लिए प्रस्तावित है जो कि मंजूर हो गया है तथा अवसंरचना के संस्थापन उस परियोजना/ भवन के निर्माण के क्रियान्वयन को प्रभावित करेगी।

(दो) अवसंरचना की स्थापना भूमि/ अवसंरचना के उस उपयोग को प्रभावित करेगी जिसके लिए वह वर्तमान में उपयोग की जा रही हे।

(तीन) जहां कि अवसंरचना किसी सड़क अथवा किसी उच्च दाब लाइन के समीप स्थापित की जाना है, यदि अवसंरचना की स्थापना से दुर्घटना कारित होने/ वाहन चलाने वाले लोगों की दृष्टि में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार की दशा में अधिकारी जिला कलेक्टर को अपनी रिर्पोट में इंकार किए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगा और आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करेगा।

11. शासकीय भूमि/ सम्पत्ति पर अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना:

(क) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन सभी पहुलुओं से पूर्ण है, आवेदक ने सभी अपेक्षाओं का पालन किया है,

(प्रसाद कुलश्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

आवेदक ने यथास्थिति आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया है और स्थापना के लिए भूमि के उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है (अथवा प्राप्त होना मान लिया गया है) तो वह विहित प्ररूप में एक अनुज्ञप्ति जारी करेगा। सक्षम प्राधिकारी उन समस्त स्थानों के लिए, जो इन दिशा-निर्देशों के अधीन अधिकथित शर्तों को पूरा करते पाए जाएं, प्ररूप-तीन में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी विभागीय प्राधिकृत अधिकारियों की राय से यदि वह इन दिशा-निर्देशों के उपबंधों के प्रतिकूल पाई जाए, तो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और उसे लाइसेन्स प्रदान करने का अधिकार होगा।

(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निपटाएगा और इस समय-सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों/ अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा।

**12. भूमि का ऐसा क्षेत्रफल जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है:**

(क) भूमि के ऊपर अवसंरचनाः शासकीय भूमि पर भूमि के ऊपर अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति निम्नानुसार दी जाएगी-

(एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी अपेक्षित भूमि का निर्धारण करेगा तथा नीचे वर्णित अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए भूमि के ऐसे क्षेत्रफल पर विनिश्चय करेगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है।

| स्थान का प्रकार | प्रति स्थान अधिकतम क्षेत्रफल | क्षेत्रफल का प्रारूपी पैमाना (स्थल की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है) |
|---|---|---|
| नगरीय क्षेत्र | 900 वर्गफुट | 30 फुट x 30 फुट |
| ग्रामीण क्षेत्र | 1225 वर्गफुट | 35 फुट x 35 फुट |

(दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी 'निवेश क्षेत्र' की सीमाओं के भीतर आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र भी किसी 'नगरीय क्षेत्र' की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

(प्रसाद ढवले)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

(तीन) छत पर स्थापन पर क्षेत्रफल की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में क्षेत्रफल प्रत्येक मामले के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा।

(चार) क्षेत्रफल की सीमा केवल लाइन बिछाने के लिए लागू नहीं होगी।

(पांच) राज्य सरकार की किसी भी भूमि पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है चाहे वह भूमि किसी अन्य विभाग/ प्राधिकरण के अधिभोग में हो, जहां तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय हो कि अवसंरचना की स्थापना उस प्रयोजन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके लिए विभाग/ प्राधिकरण उसके अधिभोग की शासकीय भूमि का उपयोग कर रहा है।

(छह) राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि से संबंधित भूमि पर भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है यदि भूमिस्वामी को अवसंरचना की स्थापना के लिए भूमि के उपयोग पर कोई आपत्ति न हो।

(सात) नगरीय क्षेत्र में भूमि की कमी तथा स्कूलों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों/ शासकीय चिकित्सालयों/ सार्वजनिक उद्यानों/ खेल के मैदानों में अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ख) शासकीय भवनों पर अवसंरचना की स्थापना/छतों पर संस्थापन: शासकीय भवनों की छतों पर अवसंरचना संस्थापित करने के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा-

(एक) आवेदक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस प्रस्तावित भवन की संरचना के लिए जहां पर अवसंरचना सृजित की जानी है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 26 के उपबंधो के अनुसार सक्षम अभियंता/वास्तुविद द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(दो) अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में अवसंरचना की संस्थापन से वास्तविक उपयोग, जिसके लिए भवन उपयोग किया जा रहा है, प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(प्रसाद हलाले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

(तीन) शैक्षणिक संस्थाओं/शासकीय चिकित्सालयों की छत पर अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(चार) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि से संबधित भवनों के लिए भी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है यदि भवन के स्वामी को छत/भवन पर अवसंरचना संस्थापित करने में कोई आपत्ति न हो।

**(ग) भूमिगत अवसंरचना:** भूमिगत अवसंरचना की दशा में निम्नलिखित बातें लागू होंगी:

(एक) शासकीय भूमि पर डक्ट, केवल तथा अन्य भूमिगत अवसंरचना को बिछाने के लिए मार्ग अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी।

(दो) शासकीय भूमि पर मार्ग अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय भूमि की न्यूनतम संभावित चैड़ाई पर विचार किया जाएगा।

(तीन) मार्ग अधिकार केवल भूमि के उस विस्तार तक प्रदान किया जाएगा जो भूमि के उस मुख्य उपयोग, जिसके लिए भूमि उपयोग की गई है अथवा किए जाने के लिए आशायित है, में सारवान रूप से हस्तक्षेप न करे।

(चार) आवेदक भूमि का पुर्नस्थापन उसी रूप में करेगा जिसमें अवसरंचना बिछाये जाने के पूर्व में थी। ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी शासकीय अभिकरण को पुर्नस्थापन्न के लिए निदेशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और ऐसा किए जाने के खर्चे आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी से वसूल करेगा।

(पांच) जहां तक सम्भव हो आवेदक नगरीय क्षेत्रों तथा अन्य जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में सड़कों की क्षति को कम करने तथा न्यूनतम लोक असुविधा के लिए 'माइक्रो ट्रेंचिंग' तकनीकी का उपयोग करेगा।

(प्रसाद [illegible])
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग